न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 04/2024

1.करणी सिंह पुत्र जैसाराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. रामलाल पुत्र जैसाराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सरंपच ग्राम पंचायत रामगढ़ तहसील नोहर।
3. पंचायत समिति नोहर जरिये विकास अधिकारी नोहर तहसील नोहर।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः–श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1

श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांकः–31.07.2025

प्रार्थी करणी सिंह पुत्र जैसाराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा विरूद्व निर्णय दिनांक 02.07.2024 पंचायत समिति विकास अधिकारी नोहर द्वारा प्रकरण सं. 33/2023 अनवान रामलाल बनाम सरपंच रामगढ़ में प्रार्थी का पट्टा निरस्त किया गया, को अपास्त करवाने बाबत् निगरानी प्रस्तुत की है जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested

(क) गांव रामगढ़ के मैने चौक में अपीलान्ट तथा उसके [illegible] का एक आवासीय भूखण्ड है, जिस पर उनका हक व हिस्सा व मालिकाना अधिकार है। उक्त भूखण्ड [illegible]झा रूप से दो पक्की दुकाने तामिर की हुई है इस भूखण्ड का सरंपच ने पटटा स. 06

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

continue-------

दिनांक 20.12.2004 को जारी करवा लिया, जिसका अपीलान्ट को उक्त दुकानो की मरमत कार्य चालु करने पर ज्ञान हुआ व पंचायत से पट्टा की प्रतिलिपि दिनांक 15.06.2023 को प्राप्त हुई। इसी जगह का पूर्व में पट्टा जारी शुदा है तथा उसको निरस्त किये बिना यह पट्टा जारी किया है इसलिए इस पट्टा को खारीज किया जावे। अपील दर्ज होने के पंचायत प्रार्थी के द्वारा अपनी और से जवाब पेश किया तथा कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा एक सिविल वाद जैसाराम वगैराह के विरूद्व प्रार्थी ने पेश किया तथा साथ में एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसमें अप्रार्थी जैसाराम ने व भाईयों ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया तथा कथन किया कि विवादग्रस्त दुकान ग्राम रामगढ तहसील नोहर आम चौगान वार्ड सं. 08 तातादी 30 x 30= 900 वर्गफीट की है उपरोक्त दुकान उसके कब्जा एव उपयोग एवं उपभोग, स्वामित्व है तथा हम उतरदाता के पैतृक मकान का भाग है। भाई बटवारा में दिनांक 21.04.2021 को दी गई थी मगर सायल ने छल कपट कर पटटा सं. 06 मिशल सं. 151 तारीख दायर 07.06.2004 रसीद सं. 59 के 260 रूपये जमा करवाने के दिनांक 20.12.2004 को पटटा जारी करवाया है, जो गलत है। उपरोक्त दुकाने अपने भाईयो गैरसायलान सं. 1 ता 4 को जरिये इकरारनामा दिनांक 16.03.2010 को प्रतिफल लेकर खरीद कर लिया है चुंकि प्रार्थी द्वारा दावा व दरख्वास्त सिविल न्यायालय नोहर में पेश किया, उस पर दिनांक 25.12.2019 को अप्रार्थी रामलाल भाईयो द्वारा उक्त वादग्रस्त मकान हवाला तोड़ फोड़ करने से निषिद्व रहे व सम्पूर्ण सुनवाई कर दिनांक 04.09.2019 ताफैसला स्थगन कर दिया अप्रार्थी रामलाल प्रार्थी के विरूद्ध एक एफ.आई.आर. 79 दिनांक 08.05.2019 धारा 448, 379, 427, 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया वाद चार्ज पुलिस द्वारा उसके अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वादग्रस्त भूमि का पटटा व कब्जा प्रार्थी का माना अब दिनांक 26.06.2023 को अप्रार्थी किस आधार पर पट्टे का ज्ञान होना मानकर उक्त अपील अधीनस्थ समिति में पेश कर प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 07.06.2004 को निरस्त फरमा दिया, जिससे व्यथित होकर निम्न आधारो पर निगरानी हाजा प्रस्तुत कर रहा है–

1. निर्णय दिनांक 02.07.2024 कतई गलत व विधि के मुल भूत सिद्धान्तो के विपरित है, जो काबिले खारीजी के है।

2. अधीनस्थ समिति से प्रार्थी के द्वारा यह भली भान्ती ज्ञात था कि उक्त पट्टे की अपील कर्ता को ज्ञान था, बावजूद इसके अधीनस्थ समिति ने अपील को अन्दर मियाद मानकर कानूनी भूल कारित की है, जो काबिले खारीजी के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

continue-----

3. अधीनस्थ समिति से द्वारा प्रार्थी के पटटे का माप का अप्रार्थी के नाम से जारी है, कब्जा रामलाल व उसके भाईयों जबकि अप्रार्थी सं. 1 ने पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया उसमें जाँच अधिकारी के द्वारा कब्जा प्रार्थी का माना है तथा अधिनियम समिति रामलाल वगैराह का कब्जा अब माना है जबकि 2019 से विवादित स्थल की मौका की यथास्थिति के आदेश है, ऐसी सुरत में रामलाल वगैराह का कब्जा मानकर कानूनी भूल कारित की है।

4. जब सन् 2019 से सिविल न्यायालय में विवाद जैरकर है तथा अप्रार्थी को 2004 के पट्टे के बारे में विवाद जैरकार है तथा अब स्थगन खारीज ना होने की सुरत में अब पट्टा खारीज की अपील कर गलत रास्ता अपानते हुऐ यह गलत अपील प्रस्तुत कर पट्टा निरस्त करवाया गया है, जो राजनैतिक दवाब के चलते किया गया है, जो काबिले खारीजी के है।

5. अधीनस्थ समिति द्वारा अपने निर्णय में यह अंकन किया कि अप्रार्थी करणीसिंह द्वारा भाईयों का कब्जा होना अंकित किया है जबकि 2019 से यथास्थिति के आदेश जारी है, जो आज भी बहाल है, ऐसी सुरत में पारित किया गया निर्णय काबिले खारीजी के है, जिसे खारीज फरमाया जावे।

6. निर्णय दिनांक 02.07.2024 को फरमा दिया गया था चुंकि प्रार्थी खेती करता है तथा इस बात का इल्म नही था कि पेशी पर जाना है जिस कारण से वह पहुंच नही पाया तथा दिनांक 07.08.2024 को अप्रार्थी सं. 1 ने कहा कि हमने तुम्हारा पट्टा निरस्त करवा दिया गया है, जिस पर प्रार्थी अधीनस्थ समिति गया तथा दिनांक 08.08.2024 को आगे तीन दिन का राजकीय अवकाश हो जाने के कारण निगरानी प्रस्तुत नही कर सका तथा आज बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत कर रहा है, जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

(ख) निगरानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है तथा उचित कोर्ट फीस पर तहरीर कर पेश है।

(ग) अन्य मुददे वरवक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक 02.07.2024 को निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा सं. 06 दिनांक 25.12.2004 को बहाल किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

continue-----

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–02 रजिस्ट्रर्ड डाक से तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अप्रार्थी संख्या–03 की ओर से रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 02.07.2024 में पट्टा संख्या 06 दिनांक 20.12.2004 को खारिज किया गया, इस निर्णय के विरूद्ध निगरानी न्यायालय हाजा में पेश की गई है। ग्राम पंचायत रामगढ़ में 30 X 30 = 900 फुट भूखण्ड है, जो तामिरशुदा प्रार्थी द्वारा उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। भाई बंटवारे में जरिये बैयनामा दिनांक 04.01.2001 को प्रार्थी को उक्त भूखण्ड का कब्जा दिया गया। भूखण्ड के चारों कोनें 30–30–30–30 फुट है। प्रार्थी द्वारा भाई बंटवारा होनें के बाद ग्राम पंचायत रामगढ़ से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत दिनांक 20.12.2004 को पट्टा करवाया गया। सिविल न्यायालय नोहर द्वारा प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश कन्फर्म है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा पट्टा खारिज कर दिया गया। पुलिस जांच भी में पट्टा एंव कब्जा प्रार्थी को होना बताया गया है। आपसी भाई बंटवारा होनें के बाद केवल एक भाई द्वारा ही निगरानी पेश की गई, जबकि उस भूखण्ड को हिस्सा तो सभी भाईयों था लेकिन अन्य भाई द्वारा कोई निगरानी पेश नहीं की गई। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.07.2024 को खारिज किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 ने अपनी बहस में कथन किया कि 30 X 30 का भूखण्ड प्रार्थी को दिनांक 16.03.2010 जरिये बैयनामा विक्रय कर दिया गया। वर्तमान में यह भूखण्ड 15 X 30 बचा हुआ है एंव अप्रार्थीगण के कब्जे में है। कोविड के कारण अपील पेश करनें में देरी हुई। उक्त भूखण्ड का पट्टा पूर्व में प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के पिता के नाम से जारी किया हुआ है। प्रार्थी के नाम से जारी पट्टा संख्या–06 दिनांक 25.12.2004 पर ग्राम विकास के अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है एंव पट्टा संख्या–06 का कोई भी रिकार्ड ग्राम पंचायत रामगढ़ में नहीं, [illegible] का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि माननीय सिविल न्यायालय नोहर द्वारा इस विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा माना है। प्रकरण संख्या 36/2024 अनवान करणीसिंह बनाम रामलाल दिनांक 13.02.2025 में निर्णय पारित कर स्थगन

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

continue-----

आदेश भी पारित किया गया है। सिविल न्यायालय में सभी भाईयो को पक्षकार बनाया गया है एंव माननीय सिविल न्यायालय,नोहर द्वारा आपसी बंटवारा को सही माना है। घर पर/भूखण्ड में पानी/नल कनेक्शन लेने के लिए शपथ–पत्र पर सभी भाईयों के हस्ताक्षर करवाये थे लेकिन उसे शपथ–पत्र को इकरारनामा बता रहे है, जो इकरारनामा की परिभाषा में नहीं आता है। जिसे सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। इस शपथ पत्र में मुख्य पृष्ठ पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। सिविल न्यायालय की कमिश्नर रिपोर्ट हमारे पक्ष में है। अतः उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का हक सिविल कोर्ट में साबित कर दिया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 ने अपनी पुनः बहस में कथन किया कि आपसी बंटवारा पर सभी भाईयों के हस्ताक्षर नहीं है। इस विवादित भूखण्ड का मौका मुआयना किया जावे यदि अप्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा साबित नहीं हुआ तो प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर ली जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय सिविल न्यायालय नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 36/2024 अनवान करनीसिंह उर्फ कर्णसिंह बनाम रामलाल आदि में निर्णय दिनांक 13.02.2025 को पारित निर्णय में आदेश दिया गया कि "प्रतिवादीगण को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम रामगढ़ तहसील नोहर में चौगान आम वार्ड संख्या 8 में तादादी 30 गुणा 30 फुट की दुकान, जिसके उतर में कृष्ण शर्मा का भूखण्ड 30 फीट, पूर्व व दक्षिण में रास्ता आम 30–30 फीट एंव पश्चिम में झाबर कुम्हार का भूखण्ड 30 फीट है, पर वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी व तोड़फोड़ आदि कर वादी को बेदखल करनें का प्रयास नहीं करेंगे।" अधीनस्थ द्वारा गठित कमेटी की मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी का पट्टा 30 गुणा 30 फुट बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 02.07.2024 में पट्टा संख्या 06 दिनांक 20.12.2004 को पूर्व के पट्टा की भूमि पर जारी होने से व माप गलत अंकित होना बताकर खारिज किया गया है।

न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 02.07.2024 में पट्टा संख्या 06 दिनांक 20.12.200[illegible] किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी की [illegible] स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 02.07.2024 को अपास्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

continue-----

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 31/7/25 को सरेइजलास सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested